

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(स्टैंडअलोन) - समझौता ज्ञापन 2025-26

भाग-I: मुख्य मापदंड

क्र.स.	मापदंड	यूनिट	वेटेज	लक्ष्य 2025-26
1	परिचालन से राजस्व	₹ करोड़	10	4800
2	सकल टन किलोमीटर (जीटीकेएम)	मिलियन	25	18288
3	पूंजीगत व्यय	₹ करोड़	10	150
4	ईबीआईटीडीए (कुल आय का प्रतिशत)	%	10	14.07
5	निवेशित पूंजी पर रिटर्न	%	15	9.05
6	परिसंपत्ति कारोबार अनुपात	%	5	49.00
7	जीईएम के माध्यम से खरीद (कुल खरीद का प्रतिशत)	%	2	50.00
8	व्यापार प्राप्तियां (परिचालन से राजस्व के दिनों की संख्या के रूप में)	दिनों की संख्या	8	30
9	अर्जन प्रति शेयर	₹	15	59.90
कुल			100	

भाग-II: अनुपालन मापदंड

क्र.स.	मापदंड	अंक	स्रोत / सत्यापन
1	सीएसआर व्यय पर डीपीई दिशा-निर्देश	-1	बोर्ड संकल्प / वार्षिक रिपोर्ट और डीपीई के सीएसआर सेल से प्राप्त इनपुट के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
2	कॉर्पोरेट प्रशासन पर कंपनी अधिनियम, 2013 (या सूचीबद्ध संस्थाओं के मामले में सेबी (एलओडीआर) विनियम) के प्रावधानों का अनुपालन जैसे: (ए.) निदेशक मंडल की संरचना (बी.) बोर्ड समितियां (सी.) बोर्ड तथा समितियों की बैठकें आयोजित करना (डी.) संबंधित पार्टी लेन-देन (ई.) प्रकटीकरण और पारदर्शिता	-3.0	सीएजी/सांविधिक/सचिवीय लेखा परीक्षक रिपोर्ट/वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
3	सभी परिचालन टीआरईडीएस प्लेटफार्मों पर सीपीएसई को शामिल करना।	-0.5	एमएसएमई संबंध / टीआरईडीएस पोर्टल
4	एमएसएमईडी अधिनियम में निर्धारित एमएसई विक्रेताओं को समय पर भुगतान	-3.0	एमएसएमई समाधान / टीआरईडीएस पोर्टल / प्रशासनिक मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट / किसी अन्य विश्वसनीय स्रोत पर आधारित
5	वस्तु एवं सेवाओं की खरीद (कुल खरीद के % के रूप में), से- ए. सभी एमएसई - 25% बी. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई - 4% सी. महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई - 3%	-2	एमएसएमई संबंध पोर्टल/वार्षिक रिपोर्ट/पीई सर्वे
6	सीपीएसई में मानव संसाधनों के स्वास्थ्य एवं संरक्षा सुधार के लिए उठाए गए कदम और पहल	-1	बोर्ड संकल्प के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय [प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।]
7	एमसीए की पीएम इंटरनशिप योजना के अंतर्गत लक्ष्य	-1	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और/या प्रशासनिक मंत्रालय बोर्ड संकल्प के आधार पर /वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर [भागीदार कंपनियों के रूप में भाग लेने वाले सीपीएसई पर लागू]
8	नेतृत्व विकास योजना	-1	नीति प्रभाग-II/डीपीई और/या प्रशासनिक मंत्रालय से इनपुट।
9	अधिशेष गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों (भूमि एवं भवन) के मुद्रीकरण की योजना	-1	डीपीई द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से योजना प्रस्तुत की जाएगी।

नोट:

- (i) लेखा परीक्षित आंकड़ों के आधार पर डी.पी.ई. द्वारा संशोधन करते हुए प्राक्कलन/अनुमानों के आधार पर निर्धारित लक्ष्य।
- (ii) मापदंडों (हानि/व्यय में कमी को छोड़कर) का मूल्यांकन लक्ष्य के 50% से 100% तक की उपलब्धि पर आनुपातिक अंकन के आधार पर किया जाएगा। शेयरधारकों के कुल रिटर्न को छोड़कर (अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो) 50% से कम उपलब्धि के लिए शून्य अंक दिए जाएंगे।
- (iii) कुल अंक, अनुपालन मापदंडों की पूर्ति पर निर्भर करेंगे। अनुपालन में विफलता की स्थिति में पूर्ण अंक काटे जाएंगे, जैसा कि दर्शाया गया है, और इसमें कोई आंशिक या आनुपातिक कटौती नहीं की जाएगी।
- (iv) विनिमय दर में परिवर्तन, कच्चे माल या तैयार माल की विनियामक कीमतों या मार्जिन में कमी या किसी अन्य कारण से लक्ष्यों या उपलब्धियों में कोई अनुकूलन नहीं किया जाएगा।
- (v) पूंजीगत व्यय लक्ष्य प्रशासनिक मंत्रालय के दृष्टिकोण के आधार पर निर्धारित किया जाता है। किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य में कमी करने पर विचार नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सचिव, रेल मंत्रालय

दिनांक: 04-08-2025

दिनांक: 13-08-2025